

भारत सरकार /Government of India
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय /Ministry of Commerce & Industry
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)/
(Department for Promotion of Industry & Internal Trade)
पेटेंट्स, ट्रेड मार्क, भौगोलिक संकेत और सेमी-कंडक्टर अनुभाग / Patents, Trade Mark,
Geographical Indication and Semi-Conductor Section

वाणिज्य भवन, नई दिल्ली-110001
Vaniija Bhawan, New Delhi - 110001
Dated: 27th September, 2024

PUBLIC NOTICE
FOR INVITING COMMENTS AND SUGGESTIONS ON
**"THE GEOGRAPHICAL INDICATIONS OF GOODS (REGISTRATION
AND PROTECTION) ACT, 1999 (Act 48 of 1999)"**

The Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, is in the process of amending the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 (Act 48 of 1999).

2. The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 (Act 48 of 1999) is available for reference and download on the IP India website at the following link: <https://www.ipindia.gov.in/acts-gi.htm>.

3. General public and concerned stakeholders are hereby invited to submit their comments and suggestions regarding the proposed amendments to the said act. These comments and suggestion may be sent to the email addresses ipr4-dipp@nic.in and ak.gupta38@nic.in. The deadline for submitting comments and suggestions is **10th October 2024**.

 27/9/24

(Arun Kumar Gupta)

Under Secretary to the Government of India

Tel: 23038969

Email id- ak.gupta38@nic.in

Through website:

1. DPIIT.
2. DoC.
3. IP office India



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102023-249634
CG-DL-E-23102023-249634

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 611]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 20, 2023/आश्विन 28, 1945

No. 611]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 20, 2023/ASVINA 28, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2023

सा.का.नि. 789(अ).—माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) नियम, 2002 में और संशोधन करने के लिए, माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार निम्नलिखित मसौदा नियम बनाने का प्रस्ताव करती है, जिन्हें इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए उक्त धारा की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर, इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले भारत के राजपत्र जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, की प्रतियां आम लोगों को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा;

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली- 110001 को या anurag.saxena@nic.in पर ई-मेल द्वारा भेज दिए जाएं;

केंद्र सरकार द्वारा, उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. (i) इन नियमों को माल के मसौदा भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) (संशोधन) नियमावली, 2023' कहा जाएगा।

(ii) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. मूल नियमों में, पहली अनुसूची की सारणी को निम्नलिखित सारणी से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः –

प्रविष्टि संख्या	किस पर संदेय है	रकम रुपयों में	तत्स्थानी प्ररूप संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.क	एक ही वर्ग में सम्मिलित माल के लिए भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर [धारा 11(1), नियम 23 (2)]	1000	भौ. उ.-1
1.ख	एक ही वर्ग में सम्मिलित माल के लिए भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए अभिसमय देश से आवेदन पर [धारा 11 (1) 84 (1), नियम 23 (3)]	1000	भौ. उ. -1
1.ग	विभिन्न वर्गों के माल के भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आवेदन पर [धारा 11 (3), नियम 23 (5)]	प्रत्येक वर्ग के लिए 1000	भौ. उ. -1
1.घ	विभिन्न वर्गों के माल के भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी अभिसमय देश से एकल आवेदन पर [धारा 11(3), 84 (1), नियम 23 (4)]	प्रत्येक वर्ग के लिए 1000	भौ. उ. -1
2.क	धारा 14(1) के अधीन भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के विरोध या धारा 17(3)(ड) के अधीन प्राधिकृत उपयोगकर्ता के विरोध की सूचना पर	प्रत्येक वर्ग के लिए 1000	भौ. उ. -2
2.ख	ऐसे प्रत्येक आवेदन के लिए जिसका विरोध किया गया है, धारा 14(2) या धारा 17(3)(ड) के अधीन विरोध की सूचना के उत्तर में और प्रत्येक भौगोलिक उपदर्शन की बाबत धारा 27 के अधीन आवेदन के उत्तर में या धारा 29 के अधीन विरोध की सूचना के उत्तर में प्रतिकथन पर	1000	भौ. उ. -2
2.ग	विरोध की सूचना फाइल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन पर [धारा 14(1), धारा 17(3)(ड), धारा 29(2) नियम 41(5)]	300	भौ. उ. -2
[3.क	धारा 17, नियम 56 (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन के प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर	10	भौ. उ. -3
[3.ख	प्राधिकृत उपयोगकर्ता के नवीकरण के लिए [धारा 18 की उप-धारा (2), नियम 60 का उप-नियम (1)]	10	भौ. उ. -3
4.क	भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के अंतिम रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति पर धारा 18(1) के अधीन नवीकरण के लिए [नियम 60(1)]	3000	भौ. उ. -4

4.ख	रजिस्टर से हटाए गए भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं के प्रत्यावर्तन के लिए धारा 18 (5) के अधीन आवेदन पर [नियम 63]	1000+ लागू नवीकरण फीस	भौ. उ. -4
4.ग	भौगोलिक उपदर्शन के अंतिम रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति से छह मास के भीतर धारा 18 (4) के परंतुक और नियम 62 के परंतुक के अधीन नवीकरण के लिए आवेदन पर	3500	भौ. उ. -4
5.क	भौगोलिक उपदर्शनों या प्राधिकृत उपयोगकर्ता के रजिस्टर में भारत में कारबार के मुख्य स्थान के या निवास के पते में या विदेश में स्वदेश के पते में परिवर्तन के लिए अनुरोध पर [धारा 28; नियम 69]	300 भौ. उ. आवेदन के मामले में 30 प्राधिकृत उपयोगकर्ता आवेदन के मामले में	भौ. उ. -5
5.ख	रजिस्टर में भौगोलिक उपदर्शन के स्वत्वधारी के नाम या विवरण में तबदीली की प्रविष्टि करने के लिए अनुरोध पर	300	भौ. उ. -5
5.ग	भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या प्राधिकृत उपयोगकर्ता के नाम, या पते विवरण में किसी त्रुटि की शुद्धि के लिए अनुरोध पर [धारा 28क]	300 भौ. उ. आवेदन के मामले में 30 प्राधिकृत उपयोगकर्ता आवेदन के मामले में	भौ. उ. -5
5.घ	प्राधिकृत उपयोगकर्ता को हटाने के लिए भाग ख में रजिस्टर की परिशुद्धि के लिए आवेदन पर [धारा 27; नियम 65]	1000	भौ. उ. -5
5.ङ	धारा 15 के परंतुक के अधीन माल के किसी वर्ग को विभाजन पर या भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए किए गए आवेदन के विभिन्न वर्गों में विभाजन पर; नियम 23 (7)	1000	भौ. उ. -5
5.च	एक वर्ग की बाबत नियम 22 के अधीन तलाशी के लिए	500	भौ. उ. -5
6.क	रजिस्टर के परिशोधन के लिए धारा 27 के अधीन या रजिस्टर से भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता को हटाने के लिए या रजिस्टर में अभिलिखित नियम 32 (1) के अधीन मामले के विवरण को निकालने या परिवर्तित करने के लिए आवेदन पर [नियम 65]	1000	भौ. उ. -6
6.ख	रजिस्टर के परिशोधन से संबंधित कार्यवाहियों में मध्यक्षेप करने की अनुमति के लिए या रजिस्टर से भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता को हटाने के लिए आवेदन पर [नियम 67 और नियम 80 (4)]	500	भौ. उ. -6
7.क	रजिस्ट्रार के प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध पर [धारा 69 या धारा 78 (1) के अधीन प्रमाणपत्र से भिन्न; नियम 96]	300 भौ. उ. आवेदन के मामले में 150 प्राधिकृत उपयोगकर्ता आवेदन के मामले में	भौ. उ. -7

7.ख	पक्षकथन के समर्थन में शपथपत्र या अधिनियम या नियमों के अधीन अपेक्षित अन्य दस्तावेजों पर	कोई फीस नहीं	भौ. उ. -7
7.ग	रजिस्टर में प्रविष्टि के अनुरोध पर और अपीलीय बोर्ड के वैधता प्रमाण पत्र के नोट का विज्ञापन [नियम 99]	200	भौ. उ. -7
7.घ	रजिस्ट्रार के विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन पर	500	भौ. उ. -7
7.ङ	भौगोलिक उपदर्शन के विज्ञापन की विशिष्टियों के लिए रजिस्ट्रार को अनुरोध पर	100	भौ. उ. -7
7.च	प्रमाणपत्र की दूसरी या और प्रति के लिए रजिस्ट्रार को अनुरोध पर	200 भौ. उ. आवेदन के मामले में 40 प्राधिकृत उपयोगकर्ता आवेदन के मामले में	भौ. उ. -7
8.क	भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर [नियम 107]	1000	भौ. उ. -8
8.ख	भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के रूप में प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुरोध पर [नियम 109]	1000	भौ. उ. -8
8.ग	नियम 110 के अधीन भौगोलिक उपदर्शन अभिकर्ता के रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम को बनाए रखने के लिए - प्रत्येक वर्ष के लिए (पहले वर्ष को छोड़कर) प्रत्येक वर्ष में 1 अप्रैल को संदत्त की जाएगी। - 1 अप्रैल और 30 सितम्बर के बीच किसी समय रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की दशा में, पहले वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस के साथ संदत्त की जाएगी। टिप्पण - इस प्रयोजन के लिए वर्ष अप्रैल के पहले दिन को प्रारंभ होगा और अगली मार्च के 31वें दिन समाप्त होगा।	1000	भौ. उ. -8
8.घ	नियम 113 के अधीन भौगोलिक उपदर्शनों के लिए रजिस्ट्रार में किसी व्यक्ति के नाम के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पर	1000+ प्रविष्टि संख्या 8ग के अधीन जारी रखने की फीस	भौ. उ. -8
9.क	कतिपय माल को अतिरिक्त संरक्षण के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन पर [धारा (22) (2); नियम 77 (1)]	12000	भौ. उ. -9
9.ख	रजिस्ट्रीकृत भौगोलिक उपदर्शन में जोड़ने या परिवर्तित करने की अनुमति के लिए आवेदन पर (सिवाय वहां के जहां किसी लोक प्राधिकारी के किसी आदेश के परिणामस्वरूप या किसी कानूनी अपेक्षा के फल स्वरूप) आवेदन किया जाता है [धारा 29]	300	भौ. उ. -9
9.ग	ऐसे समय के विस्तार के लिए जो अधिनियम में अभिव्यक्त: उपबंधित या नियमों में विहित समय नहीं है, आवेदन पर [नियम 83]	300	भौ. उ. -9

10.क	रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के रद्दकरण के लिए या माल को काट देने के लिए आवेदन पर [धारा 28 (ग) या (घ)]	300	भौ. उ. -10
10.ख	अधिनियम के अधीन किसी विषय या कार्यवाही में अभिकर्ता के प्राधिकरण का प्ररूप [धारा 76; नियम 20]	कोई फीस नहीं	भौ. उ. -10
11.	किसी प्रतिवादित कार्यवाही में किसी अंतरवर्ती विषय पर रजिस्ट्रार का आदेश अभिप्राप्त करने हेतु याचिका पर (जो अन्यथा प्रभारित नहीं है)	500	
12.	धारा 78 (1) में वर्णित दस्तावेज का निरीक्षण करने के लिए- (क) किसी विशिष्ट भौगोलिक उपदर्शन या उसके प्राधिकृत उपयोगकर्ता के संबंध में प्रत्येक घण्टे या उसके भाग के लिए (ख) कम्प्यूटर में खोज (जब उपलब्ध कराया जाए) प्रत्येक 15 मिनट के लिए (ग) धारा 78 में वर्णित अनुक्रमणिका की खोज, प्रत्येक घण्टे या उसके भाग के लिए	100 100 100	
13.	दस्तावेजों की कापी करने के लिए (फोटोकापी या टंकित) प्रत्येक पृष्ठ या एक पृष्ठ से अधिक उसके भाग के लिए	10	

[फा.सं. पी-24027/1/2023-आईपीआर-III]

हिमानी पाण्डे, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम 8 मार्च, 2002 के का.आ. 176 (अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे तथा अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 528 (अ) तारीख 26 अगस्त, 2020 के द्वारा अंतिम बार संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2023

G.S.R. 789(E).—The following draft rules to further amend the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Rules, 2002 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 87 of the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999, are hereby published as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Vanijya Bhawan, New Delhi- 110011 or by e-mail at anurag.saxena@nic.in;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

- (i) These rules may be called the draft Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) (Amendment) Rules, 2023.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the principal rules, for Table of the FIRST SCHEDULE, the following table shall be substituted, namely:—

No. of Entry	On what payable	Amount in Rupees	Corresponding Form Numbers
(1)	(2)	(3)	(4)
1A.	On application for the registration of a geographical indication for goods included in one class [section 11(1); rule 23(2)].	1000	GI-1
1B.	On application for the registration of a geographical indication for goods included in one class from a convention country [sections 11(1), 84(1); rule 23(3)].	1000	GI-1
1C.	On a single application for the registration of a geographical indication for goods in different classes [section 11(3); rule 23(5)].	1000 For each class	GI-1
1D.	On a single application for the registration of a geographical indication for goods in different classes from a convention country [sections 11(3), 84(1); rule 23(4)].	1000 For each class	GI-1
2A.	On a notice of opposition to the registration of a geographical indication under section 14(1) or an opposition to an authorised user [section 17(3)(e)].	1000 For each class	GI-2
2B.	On a counter-statement in answer to a notice of opposition under section 14(2) or 17(3)(e) for each application opposed and in answer to an application under Section 27 in respect of each geographical indication or in answer to a notice of opposition under section 29	1000	GI-2
2C.	On application for extension of time for filing notice of opposition [sections 14(1), 17(3)(e), 29(2); rule 41(5)].	300	GI-2
[3A.	On application for the registration of an authorised user of a registered geographical indication under section 17, rule 56(1)].	10	GI-3
[3B.	For renewal of an authorised user [sub-section (2) of section 18, sub- rule (1) of rule 60].	10	GI-3
4A.	For renewal under section 18(1) of the registration of a geographical indication at the expiration of the last registration [rule 60(1)].	3000	GI-4
4B.	On application under section 18(5) for restoration of geographical indication or an authorised user removed from the Register [rule 63].	1000 plus applicable renewal fees	GI-4
4C.	On application for renewal under proviso to section 18(4). Proviso to rule 62 within six months from the expiration of last registration of geographical indication.	3500	GI-4
5A.	On request for alteration of the address of the principal place of business or of residence in India or of the address in the home country abroad in the Register of Geographical Indications or authorised user [section 28; rule 69].	300 in case of GI Application 30 in case of Authorised User Application	GI-5

5B.	On request to enter change in name or description of proprietor of geographical indication upon the Register.	300	GI-5
5C.	On request for correction of any error in the name, address or description of the registered proprietor or the authorised user of a geographical indication [section 28(a)].	300 in case of GI Application 30 in case of Authorised User Application	GI-5
5D.	On application for the rectification of the register in Part B for the removal of an authorised user [section 27; rule 65].	1000	GI-5
5E.	On division of goods in a class or on division of an application made for registration of a geographical indication in different classes under proviso to section 15; rule 23(7).	1000	GI-5
5F.	For a search under rule 22 in respect of one class	500	GI-5
6A.	On application under section 27 for rectification of the register or removal of a geographical indication or expunge or vary the Statement of the Case under rule 32(1) recorded in the Register or an authorized user from the register [rule 65].	1000	GI-6
6B.	On application for leave to intervene in proceedings relating to the rectification of the Register or for the removal of a geographical indication or an authorised user from the Register [rule 67 and 80(4)].	500	GI-6
7A.	On request for certificate of Registrar [other than a certificate under section 69 or 78(1); rule 96].	300 in case of GI Application 150 in case of Authorised User Application	GI-7
7B.	Affidavit in support of statement of case or other documents required under the Act or rules.	Nil	GI-7
7C.	On request for entry in the Register and advertisement of a note of certificate of validity of the Appellate Board [rule 99].	200	GI-7
7D.	On application for review of Registrar's decision.	500	GI-7
7E.	On request to registrar for particulars of advertisement of a geographical indication.	100	GI-7
7F.	On request to Registrar for a duplicate or further copy of certificate.	200 in case of GI Application 40 in case of Authorised User Application	GI-7
8A.	Application for registration of a geographical indications agent [rule 107].	1000	GI-8

8B.	On request for issuance of certificate as geographical indications agent [rule 109].	1000	GI-8
8C.	For continuance of the name of a person in the register of Geographical Indication Agent under rule 110. - For every year (excluding the first year) to be paid on 1st April in each year. - For the first year to be paid along with the fee for registration, in the case of a person registered at any time between the 1st April, and 30th September. N.B. : A year for this purpose will commence on the 1 st day of April and end on the 31 st day of March following.	1000	GI-8
8D.	On application for restoration of the name of a person to the Register of Geographical Indications under rule 113.	1000 plus continuance fee under entry No.8C	GI-8
9A.	On application to Registrar for additional protection to certain goods [section 22(2); rule 77(1)].	12000	GI-9
9B.	On application for leave to add or alter a registered geographical indication [except where the application is made by any or of a public authority or in consequence of a statutory requirement [section 29].	300	GI-9
9C.	On application for extension of time not being a time expressly provided in the Act or prescribed in the rules [rule 83].	300	GI-9
10A.	On application for cancellation of an entry in the register or to strike out goods. [section 28(c) or (d)].	300	GI-10
10B.	Form of authorisation of agent in a matter or proceedings under the Act [section 76; rule 20]	Nil	GI-10
11.	On petition (not otherwise charged) for obtaining the Registrar's order on any interlocutory matter in a contested proceeding.	500	
12.	For inspecting the document mentioned in section 78(1)- a. relating to any particular geographical indication or authorised user thereof for every hour or part thereof; b. computer search (when made available) for every 15 minutes; c. search of index mentioned in section 78 for every hour or part thereof.	100 100 100	
13.	For copying of documents (photocopy or typed) for every page or part thereof in excess of one page	10	

[F.No.-P-24027/1/2023-IPR-III]

HIMANI PANDE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India; Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 176(E), dated 8th day of March, 2002 and last amended vide G.S.R. 528 (E), dated 26th day of August 2020.